हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 2 जून, 2017

संख्या 17/एस.टी.–1/ह0अ0 6/2003/धा0 59क/2017.– हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, **संविदाकारों के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालन स्कीम, 2016** में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

1. संविदाकारों के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालन स्कीम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद उक्त स्कीम कहा गया है) में, खण्ड़ 4 में, उप खण्ड़ (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) माल की खरीद पर कोई भी निवेश कर क्रेडिट इस स्कीम के अधीन संविदाकार को अनुज्ञेय नहीं होगा। अधिनियम के अधीन उपसंविदाकार के दायित्व का विचार लाए बिना इस स्कीम के अधीन दायित्व रहेगा। तथापि, यदि स्कीम के अधीन आने वाले वर्ष में उस द्वारा पहले से भुगतान किया गया कर, ब्याज अथवा शास्ति उपरोक्त खण्ड 4 के उप–खण्ड (1) के अनुसार देय राशि एकमुश्त राशि से अधिक है, तो उसकी अधिक राशि, स्कीम के अधीन देय तथा भुगतानयोग्य कुल राशि में समायोजित की जाएगी। स्कीम की समाप्ति पर समायोजन के पश्चात् रह गई कोई अधिक राशि न तो वापिस होगी और न ही किसी अन्य कर दायित्व के विरूद्ध समायोजित किए जाने के लिए अनुज्ञात होगी।"।

2. उक्त स्कीम में, विद्यमान खण्ड़ 5 के बाद, निम्नलिखित खण्ड़ जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"5क स्कीम का चुनाव करने वाले नए संविदाकार के लिए समय अवधि तथा शर्तें:–

(i) संविदाकार जो खंड 5 में विहित अवधि के भीतर स्कीम का चुनाव करने में असफल रहा हैं, तो वह अपने वर्ष–वार कर दायित्व तथा निर्धारण मामलों की नवीनतम स्थिति घोषित करते हुए, उसमें अपेक्षित ब्यौरे देते हुए, 28 जून, 2017 को अथवा उससे पहले सम्बद्ध निर्धारण प्राधिकारी को इस स्कीम से संलग्न प्ररुप टी.सी. –1 में ऑनलाइन आवेदन करेगा।

(ii) इस खंड के अधीन स्कीम का चुनाव करने वाले संविदाकार को प्ररुप टी.सी.–1 के साथ एक लाख रूपए की फीस का भुगतान करेगा। संविदाकार स्कीम के खण्ड 6 के उप–खण्ड (1) तथा (2) में उपबन्धित समय अवधि से परिकलित की जाने वाली विलम्ब अवधि के लिए प्रति मास दो प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित स्कीम के अधीन देय तथा भुगतानयोग्य कुल राशि का 25 प्रतिशत का भुगतान करेगें। संविदाकार प्रारुप टी.सी.–1 के साथ उसके भुगतान का सबूत प्रस्तुत करेगा।

(iii) खण्ड 5–क के अधीन स्कीम चुनने वाले संविदाकार पर ऐसे निबन्धन तथा शर्तें लागू होंगी जैसे कि उसने स्कीम के खंड 5 में स्कीम का चुनाव किया है।"।

3. उक्त स्कीम में, खण्ड़ 6 में, विद्यमान उप खण्ड़ (2) के बाद, निम्नलिखित उप खण्ड़ जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(2क) 30 जून, 2017 को या उससे पूर्व उसकी तरफ देय किस्त (किस्तों) का भुगतान करने वाले संविदाकारों को उप–खण्ड (2) में विहित तिथि से भुगतानयोग्य किस्त (किस्तों) पर प्रति मास या उसके भाग पर दो प्रतिशत की दर पर प्रत्सोहन के रुप मे कटौती अनुज्ञात की जाएगी। चूंकि दो किस्तें पहले से भुगतानयोगय हो चुकी है, तो यह प्रोत्साहन मूल आवेदक के साथ–साथ कोई नया आवेदक, जो स्कीम का चुनाव कर सकता है, दोनो के लिए स्कीम के अधीन तृतीय और चतुर्थ किस्तों पर लागू होगा।"।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 2nd June, 2017

No. 17 /ST-1/ H.A. 6/2003/S.59A/2017. In exercise of the powers conferred by section 59A of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Alternative Tax Compliance Scheme for Contractors, 2016, namely:-

Amendment

1. In the Haryana Alternative Tax Compliance Scheme for Contractors, 2016, (hereinafter called the said Scheme), in clause 4, for sub-clause (2), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

" (2) No input tax credit on purchase of goods shall be admissible to the contractor under this Scheme. The liability under this Scheme shall also be irrespective of the liability of the sub-contractor under the Act. However, if the tax, interest or penalty already paid by him during the year covered under this Scheme exceeds the lump sum amount payable as per sub-clause (1) of clause 4 above, the excess amount shall be adjusted against the total amount due and payable under the Scheme. Any excess amount left after such adjustments shall neither be refunded nor allowed to be adjusted against any other tax liability on the expiry of this Scheme.".

2. In the said Scheme, after the existing clause 5, the following clause shall be inserted, namely:-

"**5A. Time period and conditions for new contractor opting the Scheme**.-

(i) The contractor who failed to opt for the Scheme within the period prescribed in clause 5 may opt for the Scheme by applying online in Form TC-1 appended to the Scheme, to the concerned assessing authority, on or before 28th June, 2017, furnishing the details required therein, declaring his year-wise liability and the latest status of the assessment cases.

(ii) A contractor opting for the Scheme under this clause shall pay a fee of rupees one lac alongwith Form TC-1. The contractor shall also pay twenty five percent of the total amount due and payable under the Scheme alongwith interest at the rate of two percent per month for the period of delay to be computed from the time period provided in clause 6 (1) and (2) of the Scheme. The contractor shall furnish proof of payments alongwith Form TC-1."

(iii) The restrictions and conditions will apply to the contractor opting the Scheme under clause 5A as if he has opted under clause 5 of the Scheme.".

3. In the said Scheme, in clause 6, after the existing sub-clause (2), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(2A) A contractor paying his due instalment(s) on or before the 30th June, 2017 shall be allowed reduction by way of incentive at the rate of 2% per month or part thereof the amount payable from the date prescribed in sub clause (2) of the instalment(s) due. Since two instalments have become payable already, this incentive shall be applicable on the 3rd and 4th instalments under the Scheme, both for original applicant as well as any new applicant who may opt for the Scheme.".

(SANJEEV KAUSHAL)
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana, Excise and Taxation Department